रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 1976 (श्रावण 16, 1898)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 1976 (SRAVANA 16, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमो तथा आदेशों और संकल्पो से सम्बन्धित अधिसूचनाए . .	567
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1273
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमो, विनियमों, आदेशों और संकल्पो से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1061
भाग II—खड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयको सबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनो को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	2091
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रो के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियो द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2675
भाग II—खड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	301
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6759
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	657
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाए	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमे अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल है . . .	1625
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियो और गैर-सरकारी संस्थाओ के विज्ञापन तथा नोटिस	125

CONTENTS

	PAGE
PART 1—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	567
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	127
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1063
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2091
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2675
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	301
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	6759
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	657
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	625
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	125

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 जुलाई 1976

सं० 39036/4/76-स्थापना (ख)—भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 1 खण्ड I में 5 नवम्बर, 1975 के क्र० सं० 218 (पृष्ठ 1441-1446) पर प्रकाशित संकल्प संख्या 45/1(एस)/74-स्थापना(ख) के अनुसरण में, अधीनस्थ सेवा आयोग की स्थापना पहली जुलाई, 1976 से की गई है, जिसके अध्यक्ष श्री एस० हमीद, भारतीय प्रशासन सेवा के हैं ।

2. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के परीक्षा स्कंध का कार्यभार अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा सम्भाल लेने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि नीचे के विवरण के कालम 1 में दिखाए गए सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान के पदों को विवरण कालम 2 में बताए अनुसार फिर से पदनामित किया जाए और पहली जुलाई, 1976 से अधीनस्थ सेवा आयोग को स्थानान्तरित किया जाए ।

विवरण

1	2
(i) निदेशक	(i) सचिव एवं परीक्षाओं के नियंत्रक
(ii) उपनिदेशक	(ii) अवर सचिव

आर० सी० गुप्ता, अवर सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 1976

सं० एच०-11013/1/76-समन्वय :——सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना सं० एम०-13011/1/73 बी० एण्ड सी०, दिनांक 24 दिसम्बर, 1973 तथा सं० एम०-13011/1/73-बी० एण्ड सी०/जे० सी० एम० दिनांक 1 नवम्बर, 1974 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा सामाजिक सांख्यिकी विषयक स्थायी समिति का तत्काल पुनर्गठन करती है जिसकी सदस्यता निम्नलिखित होगी :—

1. प्रो० एस० चक्रवर्ती सदस्य, योजना आयोग ।	अध्यक्ष
2. निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी विभाग ।	उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी विशेषज्ञ

1. डा० सी० आर० राव, निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ।	सदस्य
2. प्रो० जे० पी० नायक, सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विषयक भारतीय परिषद ।	,,
3. प्रो० ए० आर० कामत राजनीति एवं अर्थशास्त्र विषयक गोखले संस्थान ।	,,
4. प्रो० एम० मुकर्जी, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ।	,,
5. डा० आशीश बोस, आर्थिक वृद्धि संस्थान ।	,,
6. डा० जे० एन० सिन्हा, आर्थिक वृद्धि संस्थान ।	,,
7. प्रो० वी० जगन्नाथम, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ।	,,

सरकारी विशेषज्ञ

1. महा पंजीयक, भारत	सदस्य
2. संयुक्त सचिव, पिछड़े वर्ग संबंधी कल्याण-प्रभाग, गृह मंत्रालय ।	,,
3. संयुक्त सचिव (योजना), शिक्षा विभाग ।	,,
4. निदेशक (भाषा), संस्कृति-विभाग ।	,,
5. निदेशक (पी० आर० ई० एम०), समाज कल्याण विभाग ।	,,
6. निदेशक (मूल्यांकन), परिवार नियोजन विभाग ।	,,
7. निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो आसूचना, स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय ।	,,

8. रोजगार, एवं प्रशिक्षण, महा निदेशक। — सदस्य

9. निदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला। — ,,

10. सलाहकार, रोजगार एवं जनशक्ति आयोजना प्रभाग योजना आयोग। — ,,

11. संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण एकक, योजना आयोग। — ,,

12. निदेशक, आर्थिक विश्लेषण प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सगठन। — ,,

13. निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन। — ,,

बारी-बारी से दो राज्यों के प्रतिनिधि

पहले दो प्रतिनिधि निम्नलिखित है :

14. निदेशक, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, भोपाल, (मध्य प्रदेश)। — सदस्य

15. निदेशक सांख्यिकी विभाग, मद्रास तमिल नाडु। — ,,

16. संयुक्त निदेशक, जनांकिकीय, जनशक्ति एवं सामाजिक आंकड़ा प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन। — सदस्य-सचिव

2. राज्य सरकार के प्रतिनिधि दो वर्ष की अवधि के लिये समिति में सेवा करेंगे।

3. पुनर्गठित स्थायी समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे.—

1 भारत सरकार को सामाजिक आंकड़ो के समन्वित विकास एवं संकेतकों के बारे में भारत सरकार को सलाह देना परस्पर की गई अग्रताओ की सिफारिश करने तथा समुचित सगठनात्मक व्यवस्था एवं परिकल्पित कार्यक्रम के लिए तकनीकी रीतिविधान का सुझाव देना।

2. सामाजिक आंकड़ो के विकास एवं संकेतको के बारे में की गई प्रगति की समीक्षा करना तथा उनके अग्रेतर विकास के तरीके एवं साधन सुझाना।

3. आयोजना और नीति-निर्धारण के लिए सामाजिक आकड़ो एवं सकेतको के प्रभावशाली उपयोग तथा उनके आधार पर सामाजिक प्रवृत्तियां की सावधिक समीक्षा करना।

4. विभिन्न स्रोतो से उपलब्ध सामाजिक आंकड़ो एवं संकेतकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सामाजिक अनुसंधान तथा अन्वेषण का क्षेत्र निश्चित करना।

5. विशेषरूप से, जनसंख्या के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं बालको तथा युवको एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित विकास एवं आंकडो के उपयोग की सलाह देना।

4. समिति को सचिवालीय सहायता केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जायेगी।

आर० डी० सिंहल, अवर सचिव

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 1976

संकल्प

स० एफ० 2/2/76-बी० ओ०-II—विभिन्न सामाजिक-आर्थिक नीतियो और कार्यक्रमो के कार्यान्वयन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर आने वाले गुरुतर दायित्वो के संदर्भ में, भारत सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बाईस बैंकों (अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, इसके सात अनुषंगी बैंकों, और चौदह राष्ट्रीयकृत बैंको) की वर्तमान संगठनात्मक सरचना की व्यापक रूप से समीक्षा करने के लिए एक आयोग की स्थापना की है। यह आयोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान और भावी भौगोलिक एवं कार्यात्मक व्याप्ति, उनमें प्रचलित प्रबन्ध विकास की वर्तमान अवस्था, और साथ ही कर्मचारियो के प्रेरक तत्वों के संरक्षण और संवर्द्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह समीक्षा करेगा और इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अनुकूलतम संख्या की इकाइयों में पुनः समूहित और पुनर्गठित करने सहित, इन बैंकों की सरचना में ऐसे परिवर्तनों और अन्य उपायो के बारे में सिफारिश करेगा जोकि निम्नलिखित को सुनिश्चित करने विषयक परिचालन कुशलता के संवर्द्धन के लिए आवश्यक हों :—

(क) 20 सूत्री-आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन को विशेषतः ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के बैंको की अधिक गहरी और अधिक सीधी अन्तर्ग्रस्तता;

(ख) बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और निधियों के फैलाव दोनों ही दृष्टियों से, अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में तेज प्रगति; और

(ग) राष्ट्रीय आयोजना के ढाचे के भीतर बैंकिंग योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वियन की सुविधा के लिए विभिन्न स्तरो पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य ऋण तथा विकास अभिकरणों के बीच घनिष्टतर संबंध।

यह आयोग उन अन्य सम्बद्ध विषयों के बारे में भी सिफारिश कर सकता है जो सरकार द्वारा विशेषतः इसे भेजे जाएं।

2. इस आयोग में निम्नलिखित होंगे :—

1. श्री मनुभाई शाह भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्रिमण्डलस्तरीय मंत्री — अध्यक्ष

2. श्री निर्मलचन्द्र सेनगुप्ता, सचिव, बैंकिंग विभाग	सदस्य
3. श्री जे० सी० लूथर कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
4. श्री जे० एन० सक्सेना, भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक तथा बैंक आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष।	सदस्य
5. प्रो० ए० के० दत्त कुलपति, नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, सिलिगुड़ी।	सदस्य
6. श्री एम० के० वेंकटाचलम, संयुक्त सचिव, राजस्व और बैंकिंग विभाग, बैंकिंग पक्ष।	सदस्य- सचिव

3. इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और यह यथाशीघ्र कार्य आरम्भ कर देगा। यह आयोग वे सभी सूचना मंगा सकता है और गवाहियां ले सकता है जोकि यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंक आयोग को वे सभी सूचनाएं देंगे और वह सहयोग प्रदान करेंगे, जिसकी उसे अपेक्षा हो।

4. यह आयोग 12 महीने से अनधिक अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प सामान्य सूचना के लिए, भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाये।

निर्मलचन्द्र सेनगुप्ता, सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1976

स० एफ० 12-4/75-एस० पी०-II—श्री जोगिन्दर सिंह, युवक सेवा निदेशक और पदेन उप सचिव कर्नाटक सरकार, शिक्षा और युवक सेवा विभाग, बंगलौर को कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थानों के लिये, सोसायटी के शासी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है। इनका नाम बोर्ड के सदस्यों की सूची मे क्रम संख्या 12 के सामने शामिल कर लिया जाए जैसा कि इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 12-8/75-एस० पी० (II) में अधिसूचित किया गया है।

2. श्री जोगिन्दर सिंह 31 मई, 1979 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सदस्य की हैसियत से बोर्ड की सेवा करते रहेंगे।

ए० एस० तलवार, उप सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जुलाई 1976

स० 23/19/74-जी० बी०—राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि तत्काल से ही डाक जीवन बीमा और सावधि बीमा सम्बन्धी नियमों में निम्नांकित और संशोधन किये जाएं, अर्थात्:—

इन नियमों के नियम-19 में,—

(क) धारा (1) में, शब्द, संक्षेप और अंकों "5,000 रु० तक के बीमे के लिए" के स्थान पर "10,000 रु० से कम के बीमे के लिए" शब्द, संक्षेप और अंक प्रतिस्थापित किये जाएं।

(ख) धारा (II) में, शब्द, संक्षेप और अंकों" 5,000 रु० से अधिक के बीमे के लिए" के स्थान पर "10,000 रु० से अधिक के बीमे के लिए" शब्द, संक्षेप और अक प्रतिस्थापित किये जाएं।

(ग) टिप्पणी-2 में,—
शब्द, संक्षेप और अंकों "5,000 रु० से अधिक के बीमे के लिए" के स्थान पर "10,000 रु० से अधिक के बीमे के लिए" शब्द, संक्षेप और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

(घ) टिप्पणी-10 के नीचे धारा-(II) में शब्द, सक्षेप और अंक "5,000 रु०" के स्थान पर "9999 रु०" सक्षेप और अक प्रतिस्थापित किए जाएं।

आर० एन० डे, निदेशक

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 1976

सं० एस० बी० आर०-2/76—समय-समय पर जारी की गयी राजपत्र अधिसूचनाओं द्वारा यथासंशोधित नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना स० एस० वाई०-37(5)/67, दिनांक 16-5-1968 द्वारा भारत सरकार के अधीन गठित पोत-निर्माण, पोत-मरम्मत तथा पोत-अनुषंगी कार्यों की स्थायी समिति एतद्द्वारा तत्काल भंग की जाती है।

एस० एस० गिल, संयुक्त सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 1976

सकल्प

सं० बिजली-तीन-II/17/70—भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 1970 के संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए और जम्मू व काश्मीर राज्य में

सलाल में, हिमाचल प्रदेश राज्य में बैरा-सियुल में तथा मणिपुर राज्य में लोकतक में ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत् विभाग), भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जल-विद्युत् परियोजनाओं का दक्षतापूर्ण, किफायती तथा शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक "निदेशन समिति" और "केन्द्रीय जल-विद्युत् परियोजना नियंत्रण बोर्ड" गठित करने का निर्णय लिया है।

2. निदेशन समिति का गठन और कार्य

निदेशन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(i) केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री

(ii) केन्द्रीय ऊर्जा उपमंत्री

(iii) जम्मू व कश्मीर राज्य के विद्युत् मंत्री/हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री/मणिपुर के मुख्यमंत्री

(iv) पैरा 3 में उल्लिखित केन्द्रीय जल-विद्युत् परियोजना नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष।

समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय ऊर्जा उपमंत्री इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में सदस्य (जल-विद्युत्) समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में एक बार अथवा जब भी आवश्यक समझी जाए इससे कम अन्तराल पर होगी।

समिति समय-समय पर स्वीकृत किए गए प्राक्कलनों के अनुसार तथा स्वीकृत बजट प्रावधान के अनुसार उपर्युक्त तीन जल-विद्युत् परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध मे नीति का निर्धारण करेगी। जिन मामलों में समिति आवश्यक समझे या जो मामले बोर्ड द्वारा उसे निर्देशन हेतु भेजे जाएं उन सभी मामलों में समिति केन्द्रीय जल-विद्युत् परियोजना नियंत्रण बोर्ड को निदेश जारी करेगी।

3. केन्द्रीय जल-विद्युत् परियोजना नियंत्रन बोर्ड का गठन और कार्य

(1) बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :—

(i) सचिव, ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत् विभाग)	अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
(iii) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग-सिंचाई और विद्युत्) या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
(iv) संयुक्त सचिव (बी), ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत् विभाग)।	सदस्य
(v) मुख्य सचिव, जम्मू व कश्मीर/मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश/मुख्य सचिव, मणिपुर।	सदस्य
(vi) मुख्य विद्युत् इंजीनियर, जम्मू व कश्मीर सरकार।	सदस्य
(vii) मुख्य इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश, बहुद्देशीय परियोजनाएं और विद्युत्।	सदस्य
(viii) निदेशक (आंतरिक वित्त सलाहकार), ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत् विभाग)	सदस्य
(ix) सदस्य (जल-विद्युत्), केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण।	सदस्य
(x) सदस्य (विद्युत् प्रणाली), केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण।	सदस्य
(xi) सदस्य (अभिकल्प और अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग।	सदस्य
(xii) सदस्य (आयोजन और प्रगति), केन्द्रीय जल आयोग।	सदस्य
(xiii) मुख्य इंजीनियर, सलाल/मुख्य इंजीनियर, लोकतक/मुख्य इंजीनियर, बैरा-सियुल।	सदस्य
(xiv) वित्त सलाहकार, केन्द्रीय जल-विद्युत् परियोजना नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

(2) बोर्ड का कार्यालय नई दिल्ली में होगा। बोर्ड की सहायता एक पूर्णकालिक सचिव, एक वित्त सलाहकार तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कर्मचारी-वर्ग करेंगे। सचिव, वित्त सलाहकार तथा अन्य कर्मचारी-वर्ग की नियुक्ति ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत् विभाग) द्वारा की जाएगी।

(3) बोर्ड बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित करेगा और अपनी बैठकों में ऐसे अन्य अधिकारियों को भी आमंत्रित कर सकेगा जिन्हें आमंत्रित करना जरूरी समझा जाए। बोर्ड आवश्यकतानुसार उप-समिति भी नियुक्त कर सकता है।

(4) उपर्युक्त उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय जल-विद्युत् परियोजना नियंत्रण बोर्ड, विशिष्ट रूप से, निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(i) परियोजना के प्राक्कलनो की संवीक्षा करना, उनमें आवश्यक आशोधन करने की सलाह देना तथा प्राक्कलनों की सिफारिश भारत सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु करना।

(ii) अभिकल्पो को तैयार करने/तथा विशेषज्ञतापूर्ण सलाह प्राप्त करने संबंधी सभी प्रस्तावों की जांच करना तथा उनके बारे में निर्णय लेना;

(iii) परियोजना के दक्षतापूर्ण कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली तकनीकी एवं वित्तीय दोनों प्रकार की, शक्तियों मुख्य इंजीनियर को तथा परियोजना क कार्य-निष्पादन से संबंधित अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने के बारे में समय-समय पर जांच करना और उनका अनुमोदन करना।

(iv) उन सभी उप-प्राक्कलनों तथा संविदाओं का अनुमोदन करना जिनकी लागत मुख्य इंजीनियर को प्रदत्त संस्वीकृति की शक्तियों से अधिक हो।

(v) निर्माण कार्य या सभरण संबंधी उन सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करना जो परियोजना के मुख्य इंजीनियर की शक्तियो से बाहर हों।

(vi) शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए नियमावली बनाना और परियोजना के कार्य-व्यापार के संचालन हेतु क्रियाविधि तैयार करना ;

(vii) उपलब्ध निधियों, परियोजना की अर्थ-व्यवस्थाओं तथा शीघ्र परिणाम प्राप्त करने की वांछनीयता को ध्यान में रखकर, परियोजना के विभिन्न भागों के निर्माण संबंधी कार्यक्रम के बारे में निर्णय करना ;

(viii) निर्माण कार्य और व्यय—दोनों के ही बारे में जिस प्रकार की प्रगति रिपोर्टें बोर्ड निर्धारित करे उस प्रकार की रिपोर्टें मुख्य इंजीनियर तथा अन्य अधिकारियों से प्राप्त करना, परियोजना के विभिन्न यूनिटों की प्रगति की समीक्षा करना और कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई निर्धारित करना ;

(5) बोर्ड एक स्थायी समिति गठित कर सकता है और उसे अपने वे कार्य सौंप सकता है तथा अपनी वे शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है जिन्हें वह ऐसा करने के लिए उपयुक्त समझे। यह स्थायी समिति नियंत्रण बोर्ड की ओर से ऐसे तकनीकी, वित्तीय तथा अन्य मामलों पर निर्णय लेगी जो बोर्ड द्वारा इसे सौंपे जाएं। बोर्ड द्वारा इस स्थायी समिति को सौंपे गए मामलों पर स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का सारांश बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड की सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। स्थायी समिति अपनी कार्यसंचालन नियमावली बनाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर राज्य सरकारों को, भारत सरकार के मंत्रालयों को, प्रधान मंत्री के सचिवालय को, मंत्रिमण्डल सचिव को, राष्ट्रपति के सचिव को, योजना आयोग को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रति निदेशन समिति के सभी सदस्यों को तथा केन्द्रीय जल-विद्युत् परियोजना नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को और सभी सदस्यों को प्रेषित।

वाई० टी० शाह, सचिव

श्रम मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1976

संकल्प

सं० यू० 23017/1/75-डब्ल्यू० ए० (एम)—भारत सरकार ने इस मन्त्रालय के संकल्प संख्या यू० 23011/1/71-एम- iv, दिनांक 1 फरवरी, 1973 से गठित लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित बोर्ड का गठन निम्न प्रकार है :—

अध्यक्ष

श्रम मन्त्रालय का सचिव

उपाध्यक्ष

श्रम कल्याण महा निदेशक, श्रम मन्त्रालय

सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

1. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, बिहार और उड़ीसा।
2. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, मध्य प्रदेश।
3. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, गोवा, दमन और दीव।
4. लौह अयस्क खान श्रम कल्याण आयुक्त, कर्नाटक।
5. लौह अयस्क खान श्रम कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र।
6. लौह अयस्क खान श्रम कल्याण आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश।

नियोजकों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

1. श्री एम० एस० टलौलीकर, अध्यक्ष,
   गोवा माइनिंग एसोसियेशन,
   हीरा महल,
   डा० दादा वैद्य रोड,
   पनाजी-403001 (गोवा)।
2. श्री एन० सेन, कार्मिक प्रबन्धक (कोयला खाने और अयस्क खाने), इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, डाकखाना बर्नपुर, जिला बर्दवान।
3. श्री पी० एस० हबीब मोहमद, अध्यक्ष,
   उड़ीसा माइनिंग कोरपोरेशन लि०,
   भुवनेश्वर।
4. श्री जे० कृष्णामूर्ति, मुख्य कार्मिक तथा कल्याण अधिकारी (खाने),
   टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, नौआमुण्डी,
   जिला सिंघभूम (बिहार)
5. श्री ओ० डी० शर्मा, प्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध),
   राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०, मुकर्रम जाही रोड,
   हैदराबाद-1।
6. श्री जे० बी० जोशी, सलाहकार (कार्मिक),
   हिन्दुस्तान स्टील लि०, ए-17, एच० एम० एल० कोलोनी,
   रांची-2, बिहार।
7. श्री एस० आर० रुगंटा, अध्यक्ष,
   फैडरेशन आफ इंडियन मिनरल इण्डस्ट्रीज,
   बी-7, कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी कालोनी,
   साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1,
   नई दिल्ली-110049।

श्रमिकों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

1. श्री एम० दास गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी,
इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फैडरेशन (इण्टक),
राजेन्द्र पथ, धनबाद।
2. श्री बी० के० मोहन्ती,
अध्यक्ष, इण्टक उड़ीसा ब्रांच, डाकखाना वीरमित्रपुर,
जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)।
3. श्री पी० के० बनर्जी, महासचिव,
नौआमुण्डी मजदूर यूनियन, डाकखाना नौआमुण्डी,
जिला सिंगभूम, बिहार।
4. श्री बी० ए० गवास, महा सचिव,
नेशनल माइन वर्कर्स यूनियन (इण्टक),
क्यूपेम (गोवा)।
5. श्री एस० के० सन्याल, कार्यकारी अध्यक्ष,
इंडियन माइन वर्कर्स फैडरेशन, बोरनाला,
नागपुर-13।
6. श्री हरबन्धु बेहारा, महा सचिव,
केओंझर मिनरल् एण्ड फोरेस्टस् वर्कर्स यूनियन,
डाकखाना बरबिल (उड़ीसा)।
7. हिन्द मजदूर सभा द्वारा नामजद एक प्रतिनिधि।

2. यदि आवश्यक समझा जाए तो बोर्ड किसी अन्य व्यक्ति को भी सदस्य बना सकता है। श्रम मन्त्रालय का अवर सचिव इस बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

3. यह बोर्ड असांविधिक निकाय होगा और इसके कार्य होंगे :—

(1) लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सलाह देना;

(2) लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के क्षेत्रीय संगठनों के कार्य-कलापों को पुनरीक्षित और समन्वित करना; और

(3) लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत किसी ऐसे अन्य मामले पर विचार करना जिसका सम्बन्ध लौह अयस्क खान श्रमिकों के कल्याण से हो।

4. इस बोर्ड का कार्य-काल तीन साल का होगा या तब तक यह कार्य करता रहेगा जब तक लौह अयस्क एवं मैंगनीज खान श्रम कल्याण निधि सम्बन्धी संयुक्त बोर्ड बनता है, इनमें जो भी पहले हो। बोर्ड की बैठक ऐसी जगह और ऐसी अन्तरावधि के बाद होगी जैसी यह आवश्यक समझे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

(1) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार उड़ीसा और गोवा, दमन और दीव।

(2) इस्पात और खान मन्त्रालय (इस्पात विभाग), नई दिल्ली।

(3) बोर्ड के सभी सदस्य।

(4) नियोजकों और कर्मचारियों के संबंधित संगठन।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

धरनी धर, श्रम कल्याण महा निदेशक

CABINET SECRETARIAT
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

New Delhi, the 8th July 1976

No. 39036/4/76-Estt(B).—In pursuance of the Resolution No. 45/1(S)/74-Estt.B, published in the Gazette of India (Extra-ordinary) Part I, Section 1 on 5th November, 1975.—S. No. 218 (pages 1441—1446), the Subordinate Service Commission has been set up with effect from 1st July, 1976, with Shri S. Hamid, Indian Administrative Service, as Chairman.

2. Consequent on the taking over of the functions of the Examinations Wing of the Institute of Secretariat Training and Management by the Sub-ordinate Service Commission the President hereby directs that the posts in the former, enumerated in Col. 1 of the statement below, be redesignated as indicated in column 2 thereof and transferred to the latter with effect from July 1, 1976.

STATEMENT

1	2
(i) Director	(i) Secretary-cum-Controller of Examinations.
(ii) Deputy Directors	(ii) Under Secretary.

R. C. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF PLANNING
(DEPARTMENT OF STATISTICS)

New Delhi, the 14th July 1976

No. H-11013/1/76-Coord.—In supersession of the Department of Statistics Notifications No. M-13011/1/73-B&C dated the 24th December, 1973 and No. M-13011/1/73-B&C/JCM dated the 1st November, 1974, the Government of India hereby reconstitute with immediate effect, the Standing Committee on Social Statistics with the following membership :

Chairman

1. Prof. S. Chakravarty,
Member,
Planning Commission.

Vice-Chairman

2. Director,
Central Statistical Organisation,
Deptt. of Statistics.

Members

Non-official Experts

1. Dr. C. R. Rao,
Director,
Indian Statistical Institute.
2. Prof. J. P. Naik,
Member-Secretary,
Indian Council of Social Science Research.
3. Prof. A. R. Kamat,
Gokhale Institute of Politics and Economics.
4. Prof. M. Mukherjee,
Indian Statistical Institute.
5. Dr. Ashish Bose,
Institute of Economic Growth.
6. Dr. J. N. Sinha,
Institute of Economic Growth.
7. Prof. V. Jagannadham,
Indian Institute of Public Administration.

Official Experts

1. Registrar General,
India.
2. Joint Secretary,
Backward Classes Welfare Division,
Ministry of Home Affairs.
3. Joint Secretary (Planning),
Department of Education.
4. Director (L),
Department of Culture.

5. Director (PREM),
Department of Social Welfare.
6. Director (Evaluation),
Department of Family Planning.
7. Director,
Central Bureau of Health,
Intelligence,
D.G.H.S.
8. Director General of Employment & Training.
9. Director,
Labour Bureau,
Simla.
10. Adviser,
Employment & Manpower Planning,
Division,
Planning Commission.
11. Joint Director,
Social Welfare Unit,
Planning Commission.
12. Director,
Economic Analysis Division,
NSS Organisation.
13. Director,
National Building Organisation.
Representatives of two States in rotation
The first two Representatives are :
14. Director,
Directorate of Economics & Statistics,
Bhopal (M.P.).
15. Director,
Department of Statistics,
Madras, Tamil Nadu.

Member-Secretary

16. Joint Director,
Demographic,
Manpower & Social Statistics Division,
Central Statistical Organisation.

2. The representatives of the State Government will serve on the Committee for a period of 2 years.

3. The functions of the reconstitute Standing Committee will be as under :—

1. To advise the Government of India on the co-ordinated development of social statistics and indicators, recommend *inter se* priorities and suggest appropriate organisational arrangements and technical methodology for the programmes envisaged.
2. To review the progress in the development of social statistics and indicators and suggest ways and means for further development thereof.
3. To promote the effective utilisation of social statistics and indicators for planning and policy formulation and undertake a periodic review of social trends on the basis thereof.
4. To identify areas of social research and investigations needed to supplement the social statistics and indicators available from the various sources.
5. To advise, in particular, on the development and utilisation of statistics relating to the vulnerable sections of the population such as women, children and youth and backward classes.

4. The Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Central Statistical Organisation, Department of Statistics, New Delhi.

R. D. SINGHAL, Under Secy.

DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING

(BANKING WING)

New Delhi, 28th July, 1976

RESOLUTION

F. No. 2/2/76-B.O.II—In the context of the larger responsibilities evolving on the public sector banks in the implementation of the various socio-economic policies and Programmes, Government of India have set up a Commission to review comprehensively the existing organisational structure of the twenty-two public sector banks, (*viz.* State Bank of India, its seven subsidiaries and the fourteen nationalised banks) keeping in view their existing and prospective geographical and functional coverage, the present stage of management development obtaining in them, and also the need for preserving and promoting factors motivating the employees and recommend such changes in the structure of these public sector banks, including their re-grouping and re-organisation into optimum number of units and other measures as may be necessary to promote operational efficiency to secure—

(*a*) a deeper and more direct involvement of public sector banks in the process of rural development having special regard to the implementation of the 20-Point Economic Programmes;

(*b*) an accelerated progress towards a more balanced regional development, both in terms of availability of banking services and deployment of funds; and

(*c*) closer links between the public sector banks and other credit and development agencies at different levels to facilitate joint and coordinated action in formulating and implementing banking plans within the framework of national planning.

The Commission may make recommendations on any other related issues that may be specifically referred to it by the Government.

2. The Commission will consist of following persons :—

1. Shri Manubhai Shah, formerly Cabinet Minister Government of India.	Chairman
2. Shri N. C. Sen Gupta, Secretary, Department of Banking.	Member
3. Shri J. C. Luther, Executive Director, Reserve Bank of India.	Member
4. Shri J. N. Saxena, Retired Chief General Manager, State Bank of India and formerly Chairman, Bank of India.	Member
5. Prof. A. K. Datta, Vice Chancellor, North Bengal University, Siliguri.	Member
6. Shri M. K. Venkatachalam, Joint Secretary, Deptt of Revenue & Banking, (Banking Wing)	Member-Secretary

3. The Commission will have its headquarters at Delhi and will start functioning as early as possible. It may call for such information and take such evidence as it may deem necessary. Ministries and Departments of Government of India, Reserve Bank of India and the public sector banks will furnish such information and extend such other assistance as may be required by the Commission.

4. The Commission will submit its report to the Government within a period not exceeding 12 months.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. C. SEN GUPTA
Secretary to the Government of India

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 19th July 1976

No. SBR-2/76.—The Standing Committee for Shipbuilding, Shiprepairs and Ship-Ancillaries, set up under Government of India, in the Ministry of Transport and Shipping notification No. SY-37(5)/67 dated 16-5-1968, as amended by Gazette notifications issued from time to time, is hereby dissolved with immediate effect.

S. S. GILL, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE
(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 17th July 1976

No. F. 12-4/75-SP(II).—Shri Joginder Singh, Director of Youth Services and Ex Officio Deputy Secretary to the Government of Karnataka, Education and Youth Services Deptt., Bangalore, is appointed a member of the Board of Governors of the Society for the National Institute of Physical Education and Sports, as a representative of the Government of Karnataka. His name is to be inserted in the list of Members of the Board as notified in this Ministry's Notification No. F. 12-4/75-SP(II) dated 1st June, 1976, against S. No. 12.

2. Shri Joginder Singh will serve on the Board as a Member till 31st May, 1979, or until further orders, whichever is earlier.

A. S. TALWAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(P&T BOARD)

New Delhi-11001, the 16th July 1976

No. 23/19/74-LI.—The President hereby directs that, with immediate effect, the following further amendments shall be made in the rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely :—

In rule 19 of the said rules :—

(a) in clause (i) for the words, abbreviation and figures "For insurance up to Rs. 5,000", the words, abbreviation and figures "For insurance of less than Rs. 10,000" shall be substituted.

(b) in clause (ii) for the words, abbreviation and figures "For insurance above Rs. 5,000", the words, abbreviation, and figures "For an insurance of Rs. 10,000 and above" shall be substituted.

(c) In Note 2, for the words abbreviation and figures "For insurance above Rs. 5,000", the words, abbreviation and figures "For an insurance of Rs. 10,000 and above" shall be substituted.

(d) in clause (ii) under Note 10, for the abbreviation and figures "Rs. 5,000", the abbreviation and figures "Rs. 9999", shall be substituted.

R. N. DEY, Director,
Postal Life Insurance.

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 6th July 1976

RESOLUTION

No. EL-III-11(17)/70.—In partial modification of the erstwhile Ministry of Irriagtion & Power's Resolution dated 14th July, 1970 and with a view to ensuring efficient, economic and early implementation of the Hydro Electric Projects taken up by the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Power) at Salal in the State of Jammu & Kashmir, Baira Siul in the State of Himachal Pradesh and Loktak in the State of Manipur, the Government of India have decided to set up a "Committee of Director" and the "Central Hydro-Electric Projects Control Board."

2. *Constitution & Functions of the Committee of direction* The Committee of Direction will consist of the following :—

(i) The Union Minister of Energy;

(ii) The Union Deputy Minister of Energy;

(iii) The State Minister for Power, Jammu & Kashmir/Chief Minister, Himachal PJadesh/Chief Minister, Manipur.

(iv) The Chairman of the Central Hydro Electric Projects Control Board referred to in Para 3.

The Committee will be presided over by the Union Minister of Energy and, in his absence, by the Union Deputy Minister of Energy. The Member (HE), Central Electricity Authority, will act as Secretary to the Committee.

The Meetings of the Committee shall be held once every year or at shorter intervals whenever considered necessary.

The Committee will lay down the policy in regard to the execution of the three Hydro-Electric Projects indicated above in accordance with the estimates as sanctioned from time to time and the sanctioned budget provision. The Committee will issue directions to the Central Hydro-Electrics Projects Control Board on such matters as it considers necessary or as may be referred by the Board.

3. *Constitution and functions of the Central Hydro-Electric Projects Control Board.*

(1) The Board will consist of the following :

Chairman

(i) Secretary, Ministry of Energy (Department of Power).

Members

(ii) Chairman, Central Water Commission.

(iii) Joint Secretary, Ministry of Finance, (Deptt of Expenditure—I&P) or his representative.

(iv) Joint Secretary (B), Ministry of Energy (Department of Power).

(v) Chief Secretary, Jammu & Kashmir/Chief Secretary, Himachal Pradesh/Chief Secretary, Manipur.

(vi) Chief Electrical Engineer to Govt. J&K.

(vii) Chief Engineer H.P., MPP & Power.

(vii) Director (IFA), Ministry of Energy, (Department of Power).

(ix) Member (HE), Central Electricity Authority.

(x) Member (PS), Central Electricity Authority.

(xi) Member (D&R), Central Water Commission.

(xii) Member (P&P), Central Water Commission.

(xiii) Chief Engineer, Salal/Chief Engineer, Loktak/Chief Engineer, Baira Siul.

(xiv) Financial Adviser of the Central Hydro Electric Projects Control Board.

(2) The Board's Office will be at New Delhi. The Board will be assitsed by a whole-time Secretary, a Financial Adviser and such other Staff as may be considered necessary. The Secretary, the Financial Adviser and other Staff will be appointed by the Ministry of Energy (Department of Power).

(3) The Board will hold meetings as and when necessary and may invite to its meetings such other Officers as may be considerde necessary. It may also appoint Sub-Committee when necessary.

(4) In particular and without prejudice to the generality of the provisions above, the Central Hydro Electric Projects Control Board shall :—

(i) Scrutinise the estimates of the Project, advise necessary modifications and recomemnded the estimate for administrative approval of the Government of India.

(ii) Examine and decide all proposals for preparation of designs/and for obtaining expert advice.

(iii) Examine and approve from time to time, the delegation of such powers, both technical and financial as it may deem necessary for the efficient execution of the Project to the Chief Engineer and other Officers concerned with the execution of the Project.

(iv) Approve all Sub-Estimates and contracts, the cost of which exceeds the powers of sanction of the Chief Engineer.

(v) Approve all proposals for award of work or supplies on contract which are beyond the power of the Chief Engineer of the Project.

(vi) Frame rules as to delegation of Powers and procedure for the purpose of carrying out it business.

(vii) Decide the programme of construction of different parts of the Project keeping in view the funds available, the economics of the Projects and the desirability of obtaining quick results.

(viii) Receive such progress reports as it may prescribe both as to works and expenditure in the prescribed form from the Chief Engineer and other Officers review the progress of different units of the Project and lay down steps to be taken to expedite the work.

(5) The Board may constitute a Standing Committee and entrust it with such of its functions [illegible] of its powers as it may deem fit. The S[illegible] shall take decisions on behalf of the Control Board on such technical, financial and other matters as may be delegated to it by the Board. The summary of the decisions of the Standing Committee on matters delegated to it by the Board shall be put up for information of the Board at its following meeting. The Standing Committee will frame its rules of business.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of the States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Manipur, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretary, Secretary to the President, Planning Commission, The Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

Y. T. SHAH, Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd August 1976

RESOLUTION

No. U-23017/1/75-WA(M).—The Government of India have decided to re-constitute the Central Advisory Board for Iron Ore Mines Labour Welfare Fund which was set up in this Ministry's Resolution No. U-23011/1/71-M.IV, dated the 1st February 1973. The Composition of the reconstituted Board is as follows :—

CHAIRMAN

Secretary in the Ministry of Labour

VICE-CHAIRMAN

Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour.

MEMBERS REPRESENTATING GOVERNMENT

1. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Bihar and Orissa.
2. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Madhya Pradesh.
3. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Goa, Daman and Diu.
4. Iron Ore Mines Labour Welfare Commissioner, Karnataka.
5. Iron Ore Mines Labour Welfare Commissioner, Maharashtra.
6. Iron Ore Mines Labour Welfare Commissioner, Andhra Pradesh.

MEMBERS REPRESENTING EMPLOYERS' ORGANISATIONS

1. Shri M. S. Talaulicar, President, Goa Mines Association, Hira Mahal, Dr. Dada Vaidya Road, Panaji-403001 (Goa).
2. Shri N. Sen, Personnel Manager (Collieries and Ore Mines), Indian Iron & Steel Co., Ltd. P.O. Burnpur, Distt. Burdwan.
3. Shri P. S. Habeeb Mohamad, Chairman, Orissa Mining Corporation Ltd., Bhubaneshwar.
4. Shri J. Krishnamoorthy, Chief Personnel and Welfare Officer (Mines), Tata Iron & Steel Co., Ltd., Noamundi, Distt. Singhbhum (Bihar).
5. Shri O. D. Sharma, Manager (Industrial Relations), National Mineral Development Corporation Ltd., Mukarram Jahi Road, Hyderabad-I.
6. Shri J. B. Joshi, Adviser (Personnel), Hindustan Steel Ltd., A-17, HSL Colony, Ranchi-2, Bihar.
7. Shri S. R. Rungta, President, Federation of Indian Mineral Industries, B-7, Cooperative Housing Society Colony, South Extension Part I, New Delhi-110049.

MEMBERS REPRESENTING WORKERS' ORGANISATIONS

1. Shri S. Das Gupta, General Secretary. Indian National Mine Workers Federation (INTUC), Rajendra Path, Dhanbad.
2. Shri B. K. Mohanti, President, INTUC Orissa Branch, P.O. Birmitrapur, Distt. Sundergarh (Orissa).
3. Shri P. K. Banerjee, General Secretary, Nomundi Mazdur Union, P.O. Noamundi, Distt. Singhbhum, Bihar.
4. Shri V. A. Gavas, General Secretary, National Mines Workers' Union (INTUC). Quepem (Goa).
5. Shri S. K. Sanyal, Working President, Indian Mine Workers Federation, Bornala, Nagpur-13.
6. Shri Harbandhu Behara, General Secretary, Keonjhar Minerals & Forests Workers Union, P.O. Barbil (Orissa).
7. A nominee of Hind Mazdoor Sabha.

2. The Board may also co-opt any other person as a Member if considered necessary. The Under Secretary in the Ministry of Labour shall function as Secretary to the Board.

3. The Board will be a non-statutory body and its functions will be :

(i) To advise on the activities of the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund:

(ii) To review and coordinate the activities of the Regional Organisations of the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund; and

(iii) To consider any other matter relevant to the Welfare of iron ore mines workers under the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund.

4. The life of the Board will be for a period of three years or till such time as a Joint Board for Iron Ore & Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund is constituted whichever is earlier. The Board will meet at such place and at such interval as it may consider necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

(i) The Governments of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Orissa and Goa, Daman and Diu.
(ii) The Ministry of Steel & Mines (Deptt. of Steel), New Delhi.
(iii) All Members of the Board.
(iv) Employers' and Workers' Organisations concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DHARNI DHAR
Director General of Labour Welfare

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976